प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग

क्रमांक : 6(58)प्र.सु./अनु. 3/2004

जयपुर, दिनांक 4/11/2004

आज्ञा

केन्द्रीय योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 2007 तक देश के 25 प्रतिशत भू–भाग एवं वर्ष 2012 तक 33 प्रतिशत भू–भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

चूंकि वृक्षाच्छादित क्षेत्र में बढोतरी की सम्भावना गैर वन भूमि एवं निजी भूमि में ही विद्यमान है अतः इस दिशा में अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण हेतु शासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जातीहै। इस दिशा में विभिन्न प्रशासकीय, विधिक एवं वित्तीय कदम उठाया जाना अपरिहार्य है। इस प्रकार पहल को प्रभावशाली करने हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों की एक समन्वय समिति गठित की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः वनों एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयासों पर विचार कर इस दिशा में नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के उद्देश्य से निम्नाकिंत सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती है :–

1.	मुख्य सचिव, राजस्थान	अध्यक्ष
2.	निम्न विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	
	(1) ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
	(2) कृषि विभाग	सदस्य
	(3) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
	(4) जल संसाधन विभाग	सदस्य
	(5) राजस्व विभाग	सदस्य
	(6) वित्त एवं आयाजना विभाग	सदस्य
	(7) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
	(8) वन विभाग	सदस्य
	(9) खान विभाग	सदस्य
	(10) पर्यावरण विभाग	सदस्य
	(11) शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान	सदस्य
4.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हों।	सदस्य
5.	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान	नोडल अधिकारी

इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा एवं इसका प्रशासनिक विकास होगा।

आज्ञा से

(आर.सी.अग्रवाल)
उप शासन सचिव